



श्री. ए. क. कुमारी ६५  
द्वारा आज दि. १५-५-१९  
प्रस्तुत प्रारम्भिक तर्क हेतु  
दिनांक १०-५-१९ नियत।  
१०-५-१९  
क्लर्क ऑफ कोर्ट १५-५-१९  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय-श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

अपील क्रमांक-

१२०१९ अपील-०५२०/२०१९/सतना १२/०५/१९

अपीलार्थी

श्रीनारायण मिश्रा पुत्र स्व. श्री  
रामगोपाल मिश्रा आयु-५५ वर्ष,  
निवासी-ग्राम झरी तहसील  
बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.

प्रस्तुत कता ४  
रज. नं. १५५/१९  
रज. नं. २  
१९७७२२४०७६

रेस्पॉण्डेंट

बनाम  
श्रीताशरण त्रिपाठी पुत्र स्व. श्री  
जयकारण त्रिपाठी आयु-४५ वर्ष,  
निवासी-ग्राम झरी तहसील  
बिरसिंहपुर, जिला सतना म.प्र.

अपील अंतर्गत धारा-४४ म.प्र.भू.संहिता-१९५९

निम्न लिखित अपील अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा के अपील प्रकरण क्रमांक-६३३/अपील १२०१०/११ मे पारित आदेश दिनांक-०६-१२-२०१६ जिसके द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त की गयी है से परिवेदित होकर निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

माननीय न्यायालय,

अपीलार्थी की ओर से अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है:-


अपील के संक्षिप्त तथ्य

- १ यहकि, प्रार्थी/अपीलार्थी ने मौजा झरी की आ.नं. ३५०/२ रकवा १.४५ ए भूमि जो कि, आवादी म.प्र. शासन दर्ज है सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय ने मे एक आवेदन पत्र दिया था जिसमे राजस्व निरीक्षक

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-520/2019/सतना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के
09/05/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक की ओर से यह अपील अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के अनुसार द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध तृतीय अपील नहीं की जा सकती। अतः यह अपील प्रचलनयोग्य न होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम. शर्मा)            सदस्य         </p>	

श्री. द्वारा प्रस्तुत

01